

न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द  
(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री रामचरन शर्मा, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-17/2023 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)

GCMS NO :-2023/33

दायर दिनांक :-27.02.2023

निर्णय दिनांक :-13.04.2023

### अनवान

राज्य सरकार जरिये श्री शशिकांत शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

- प्रार्थी

### बनाम


1. श्री पोकरमल कुमावत पुत्र श्री चेताराम कुमावत उम्र 45 जाति कुमावत निवासी आगरिया तह आमेट जिला राजसमंद (फर्म मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स महालक्ष्मी डेयरी, वीर पत्ता चौराहा, केलवा रोड़, आमेट जिला राजसमंद।

- विपक्षी

अन्तर्गत धारा क्रमशः 26(2) (ii) / 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम एवं विनियम 2011

### निर्णय

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 25.07.2011 व 10.08.2011 के अनुसरण में शशिकांत शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है। विपक्षी पर सबस्टैण्डर्ड खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है श्री पोकरमल कुमावत पुत्र श्री चेताराम कुमावत उम्र 45 जाति कुमावत निवासी आगरिया तह आमेट जिला राजसमंद (विक्रेता एवं मालिक)। जो की व्यवसाय करते है, तथा इनकी दुकान मैसर्स महालक्ष्मी डेयरी, वीर पत्ता चौराहा, केलवा रोड़, आमेट जिला राजसमंद पर दिनांक 10.08.2022 को 01.30 पी.एम. पर वास्ते चेकिंग पहुंचे। खाद्य कारोबारकर्ता विपक्षी से खाद्य पदार्थ विक्रय का रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा गया, जिस पर विपक्षी द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन मौके पर पेश नहीं किया। वक्त निरीक्षण उक्त निरीक्षण के समय खाद्य पदार्थ मलाई बर्फी (दूध, चीनी एवं पिस्ता से निर्मित) एक स्टील की ट्रे में लगभग 05 किलोग्राम दुकान में आम जनता के लिये विक्रय हेतु रखे हुए थे। एफ.एस.एस.ए. 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने का शक होने पर खाद्य पदार्थ मलाई बर्फी (दूध, चीनी एवं पिस्ता से निर्मित) 02 किलो ग्राम खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को रु. 720/- (सात सौ बीस रूपये) देकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर लिये गये। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ मलाई बर्फी (दूध, चीनी एवं पिस्ता से निर्मित) के नमूने लिये गये, जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर 5ए पर दी। प्रार्थी ने अपने-



P.T.O.

आवेदन में उल्लेख किया कि खरीदशुदा मलाई बर्फी (दूध, चीनी एवं पिस्ता से निर्मित) के 04 नमूना भाग तैयार किये चारों नमूना भागों हेतु 04 लेबल तैयार किये जिन पर विवरण आदि अंकित किया। चिपकाये गये नमूना भागो पर विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें। सील कर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) जिला राजसमन्द द्वारा जारी की गई पेपर स्लीप नम्बर ए.आई-1680 नियमानुसार चारो नमूना सील्ड पर अंकित कर नमूने की सील्ड भागो को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित थी, एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के शेष दो सील बंद भागो को मय फार्म न.6 की प्रतियों के सील बंदकर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) राजसमन्द को जमा कराई तथा नमूने के चौथे भाग को भी फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी, राजसमन्द को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमंद ने पत्र क्रमांक ए एफएसएसए/2022/3496 दिनांक 15.09.2022 के साथ खाद्य विश्लेषक उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस. /776/एक्ट/2022/776 दिनांक 23.08.2022 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार AI 1680 खाद्य पदार्थ मलाई बर्फी (दूध, चीनी एवं पिस्ता से निर्मित) का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया जिसके आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने की मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजसमन्द ने अभियोजन स्वीकृति जारी कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण को संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क-4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2)कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। विपक्षी द्वारा अपनी बहस में अवगत कराया कि उसके द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ मलाई बर्फी (दूध, चीनी एवं पिस्ता से निर्मित) में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है तथा भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराई जावेगी।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी की बहस का अवलोकन किया गया। प्रकरण में चूंकि विपक्षी का खाद्य पदार्थ मलाई बर्फी (दूध, चीनी एवं पिस्ता से निर्मित) सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। अतः अभियुक्त ने सबस्टैण्डर्ड —



P.T.O.

(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx)) खाद्य पदार्थ मलाई बर्फी (दूध, चीनी एवं पिस्ता से निर्मित) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है, अपराध कारित होने से विपक्ष श्री पोकर्मल कुमावत पुत्र श्री चेताराम कुमावत उम्र 45 जाति कुमावत निवासी आगरिया तह आमेट जिला राजसमंद (फर्म विक्रेता/मालिक) मैसर्स महालक्ष्मी डेयरी, वीर पत्ता चौराहा, केलवा रोड़, आमेट जिला राजसमंद पर 5,100/- रुपये (अक्षरे रूपया पाँच हजार एक सौ रूपये) की पेनल्टी से आरोपित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करे, विपक्षीगण को पाबन्द किया जाता है कि उक्त जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी, एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान से निर्णय दिनांक से एक माह की अवधि में राजकोष में आवश्यक रूप से जमा करा पावती प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2023 को खुले न्यायालय सुनाया जाकर, टकिंत कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रा० फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय की प्रति संबंधित को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित है।



(रामचरम शर्मा)  
 न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
 राजसमन्द